

सुप्रीम कोर्ट ११०४५ नंबर

दिनांक. ११/१२/२०२२

प्रादेशिक न्याय

११/१/२३

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अंतर्गत
 न्यायाधीशों के कार्यभार को संभालने के लिए
 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त किया जा रहा है।
 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को
 प्रादेशिक न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
 न्यायाधीशों के कार्यभार को संभालने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को
 प्रादेशिक न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
 न्यायाधीशों के कार्यभार को संभालने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को
 प्रादेशिक न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।

ER MS
 (सुप्रीम कोर्ट)
 प्रधान न्यायाधीश
 न्याय

Prakash
 ११/१२/२३

न्यायाधीशों के कार्यभार को संभालने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को
 प्रादेशिक न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
 न्यायाधीशों के कार्यभार को संभालने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को
 प्रादेशिक न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
 न्यायाधीशों के कार्यभार को संभालने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को
 प्रादेशिक न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
 न्यायाधीशों के कार्यभार को संभालने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को
 प्रादेशिक न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।

(अध्याक्षक)
 जिला कलेक्टर, अजमेर